

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

06.10.2022 दावा बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.10.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (सौभाग्य)

27/10

पत्रावली पेश हुई। वादी भद्र आदिवक्ता
उप। वादी ने एक प्रां.पत्र कलत्र
बाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज करने
का प्रस्तुत किया। तथा निवेदन किया
कि हम पदाकारों के मध्य राष्ट्रीय
मोरु अदालत की भावना से शानिनाला
हो गया है। इसीलिए अतः प्रमाण में
कोई भी कार्यवाही आपके यहाँ नहीं
चाहता। मेरा उदा उसी स्तर पर
खारिज किया जावे। वहील वादी
को सुना गया। पत्रा का अयोजन
किया गया। वादी का बादपत्र वादी के प्राथमिक
पत्र के आधार पर उसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल सुनाए लेके दायित्व रफ्तार

राजेश
Felenhi@reel
V.S. Ch
27/10/22

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

गि
र
16